

**कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड**  
**4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001**

फोन नं 0 (0135) - 2712055, 2713551  
फैक्स नं 0 (0135) - 2712014, 2713724

संख्या | ५६८ / XXV-12 / 2008 (P-4)

देहरादून : दिनांक ०१ दिसम्बर, 2016

सेवा में,

श्री रामसिंह विष्ट,  
निकट R.T.O. कार्यालय,  
हल्द्वानी, जिला नैनीताल।

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।  
महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने सूचना अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन पत्र के माध्यम से वांछित सूचना के क्रम में मु0नि0अ0 कार्यालय के पत्र संख्या-1024 दिनांक 26 सितम्बर, 2016 की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। इस संबंध में अब तक की गयी कार्यवाही से संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उधमसिंगर के लोक सूचना अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:-

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं


अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

उत्तराखण्ड, ०४-सुभाष रोड़,

सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि।

भवदीय,  
  
(मस्तू दास)  
अनुभाग अधिकारी एवं  
लोक सूचना अधिकारी

## सूचना का अधिकार

सेवा में,

दिनांक – 20 / 10 / 2016

श्रीमान मुख्य निर्वाचन आधिकारी महोदय

4 सुभाष रोड़

सचिवालय परिसर

देहरादून, उत्तराखण्ड।

विषय:- सूचना का अधिकार 2005 के अन्तर्गत सूचना प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- वर्षों से एक स्थान पर राजनैतिक पहुँच वाले जमे हुए/अधिकारी/कर्मचारी के टाँस्फर के सम्बन्ध में। दिनांक- 15/09/2016 के पत्र के सम्बन्ध में।  
महोदय,

निवेदन है कि सूचना कि आवेदक को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (एफ) के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनायें स्पष्ट रूप से बिन्दुवार एंव सत्यांपित प्रतियों सहित निर्धारित समयन्तर्गत उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें।

1- बिन्दु सं0 1 – निवेदन इस प्रकार है कि पत्र दिनांक 15/09/2016 को आपको पत्र प्रेषित किया गया था जिस पर आप द्वारा कि गयी कृत कार्यवाही के पत्र की छायाप्रति देकर सूचना प्रदान करने का कष्ट करें।

2- बिन्दु सं0 2 – निवेदन इस प्रकार है कि पत्र दिनांक 15/09/2016 को आपको पत्र प्रेषित किया गया था जिस पर आज दिनांक 20/10/2016 तक कोई कार्यवाही न किये जाने की सूचना प्रदान करने का कष्ट करें।

3- बिन्दु सं0 3 – निवेदन इस प्रकार है कि पत्र दिनांक 15/09/2016 को आपको पत्र प्रेषित किया गया था जिसकी रजिस्टी 19/09/2016 को की गई जिसकी छायाप्रति संलग्न है। जिसका कोई संज्ञान न लिए जाने की सूचना प्रदान करें।

4- बिन्दु सं04 – सुनील कुमार सैनी (पदनाम – राजकीय गन्ना पर्यवेक्षक) के सम्बन्ध में शिकायती पत्र पर न तो कोई कार्यवाही की अपितु उल्टा फीहड़ कार्य न करने के बाबजुद वाहन भत्ता 1200रु प्रतिमाह दिया जा रहा है, जिसकी सूचना अधिकार के तहत सूचना प्रदान करें कि दोषी कर्मचारी/अधिकारीयों के नाम व पते की सूचना प्रदान करने का कष्ट करें।

• संलग्न- 1. भा० प०० आ० संख्या -33 F 818212  
रु० दस/

✓ 2. पूर्व प्रेषित शिकायत पत्र की छायाप्रति।

प्रतिलिपि – मुख्य सूचना आयुक्त  
उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ।

आवेदक  
*Ram Singh*

रामसिंह विष्ट  
निकट R.T.O कार्यालय  
हल्द्वानी (जिला नैनीताल)  
उत्तराखण्ड।